न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 278/2015 **दायरा दिनांक : 11.12.2015**

उनवान

केदार सिंह पुत्र धूलसिंह, जाति राजपूत, निवासी बल्लूखेड़ी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— भगवान सिंह पुत्र कल्याण सिंह, जाति राजपूत, निवासी बल्लूखेड़ी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2— ईश्वर सिंह पुत्र कल्याण सिंह, जाति राजपूत, निवासी बल्लूखेड़ी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3— पुष्पकंवर बेवा कल्याण सिंह, जाति राजपूत, निवासी बल्लूखेड़ी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4— भंवरीबाई पुत्री कल्याण सिंह, पत्नी बहादुर सिंह, जाति राजपूत, निवासी कडियानोहर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5— रतन बाई पुत्री कल्याण सिंह, पत्नी भवानी सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोटा, जिला कोटा

6— सज्जन बाई पुत्री कल्याण सिंह, पत्नी उम्मेदसिंह, जाति राजपूत, निवासी कोटा, जिला कोटा,

7— राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार, छीपाबडोद

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओम भारद्वाज एवं श्री ओ पी मेहता ।।

निर्णय **दिनांक : 31.10.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 398/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बल्लूखेड़ी तहसील छीपाबडौद की आराजी खसरा नम्बर 133 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा है जो सम्वत 2012 से 2033 में बिना नाम काबिल काश्त दर्ज है जिसे वादी ने मेहनत करके काबिल काश्त बनाया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का 50 वर्ष से भी ज्यादा समय से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में वादी उक्त आराजी पर बाई आपरेशन ऑफ लॉ (एडवर्स पजेशन) के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं । रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 6 का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है यदि वादग्रस्त आराजी पर उनके खातेदारी अधिकार थे वो समाप्त हो चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया और प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन नहीं किया गया अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की जो विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 133 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर वादी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.10.55 के पूर्व से ही निरन्तर व बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है । रेस्पोडेंटगण का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा है ।

वादग्रस्त आराजी को काफी मेहनत व धन खर्च करके काबिल काश्त अपीलांटगण ने बनाया है । अपीलांट का 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है उसके आधार प रवह ओपन एण्ड होस्टाईल कब्जाधारी होने के कारण उनके हक हकूक वादग्रस्त आराजी पर परिपक्व्य हो गये हैं । जिसके आधार पर वह एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी का विवेचन भी ठीक प्रकार से नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 133 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.10.55 के पूर्व से ही मेरा कब्जा काश्त है । रेस्पोडेंट का काउटर क्लेम डिक्री किया गया और दावा खारिज किया गया है । उक्त वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट अथवा प्रतिवादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । प्रदर्श 2 में 60 वर्षों से मेरा कब्जा होना सिद्ध है । एक्जीविट 3 पंचनामा में भी मेरा कब्जा बताया गया है । वादग्रस्त आराजी का कल्याण सिंह को आवंटन होकर नाम दर्ज हुआ है जिसकी केवल फोटो पति पेश की है मूल दस्तावेजात को एक्जीविट नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2013–2032 एक्जीविट 1, ग्राम पंचायत गगचाना द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र एक्जीविट 2, पंचनामा एक्जीविट 3 अपीलांट की ओर से पेश किये गये है । नकल जमाबंदी ग्राम बल्लूखेडी सम्वत 2063–66 खाता संख्या 12 एक्जीविट डी 1 रेस्पोडेंट की ओर से पेश की गई है । अपीलांट की ओर से बयान केदार सिंह पुत्र धूलसिंह पी डब्ल्यू 1, जगदीश सिंह पुत्र गोविन्द सिंह पी डब्ल्यू 2, शिवराज सिंह पुत्र केदार सिंह पी डब्ल्यू 3 कराये गये एवं रेस्पोडेंट की ओर से बयान ईश्वर सिंह पुत्र कल्याण सिंह डी डब्ल्यू 1, रामसिंह पुत्र सरदार सिंह डी डब्ल्यू 2 कराये गये हैं । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत एक्जीविट 1 में उपरोक्त भूमि बिलानाम काबिल काश्त सिवाय चक दर्ज है । अपीलांट द्वारा भूमि के कब्जे अथवा आवंटन के सम्बन्ध में कोई राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किये हैं जैसे धारा 91 का नोटिस, कब्जे बाबत नोटिस, आवंटन पत्रावली या अन्य कोई साक्ष्य, केवल पंचायत का प्रमाण पत्र एवं पंचनामा को खातेदारी घोषणा का आधार नहीं माना जा सकता है । वर्तमान में जमीन रेस्पोडेंट के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसके सम्बन्ध में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य है । अपील सारहीन होने से काबिल खारिज है ।

पत्रावली का दस्तावेजी एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तनकीयात का निर्णय उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत तरीके से किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं । अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा